मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3939
18.08.2025 को उत्तर के लिए

श्री सीमेंट लिमिटेड को पर्यावरणीय मंजूरी

3939. श्री विजय बघेल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सीमेंट लिमिटेड, खपराडीह, छत्तीसगढ़ को सरकार से 13.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) क्लिंकर के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त हुई थी और यूनिट-3 में उत्पादन सहित 16.5 एमटीपीए सीमेंट के उत्पादन की सीधी अनुमति प्रदान की गई थी, जबकि कंपनी ने ईसी मूल्यांकन के दौरान यह स्वीकर किया कि केवल 13 एमटीपीए चूना पत्थर लिंकेज है;
(ख) क्या वर्ष 2024-25 के आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं जिससे पादर्शिता पर प्रश्न उठते हैं;
(ग) क्या ऐसे उदाहरण कर चोरी, अवैध खनन, तुलन पत्र में हेरफेर और धन शोधन जैसे संगठित वित्तीय अपराधों का संकेत देते है; और
(घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान श्री सीमेंट यूनिट-3 के विरुद्ध सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई) को ग्राम खपराडीह, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा, छत्तीसगढ़ के पास अवस्थित परियोजना के संबंध में दिनांक 11.09.2019 को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई थी। उक्त पर्यावरण मंजूरी क्लिंकर विनिर्माण के उत्पादन को 5.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर 13.5 एमटीपीए करने तथा सीमेंट विनिर्माण के उत्पादन को 6 एमटीपीए से बढ़ाकर 16.5 एमटीपीए करने के साथ-साथ अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति विद्युत संयंत्र के उत्पादन को 15 से बढ़ाकर 30 मेगावाट करने, कैप्टिव विद्युत संयंत्र के उत्पादन को 25 मेगावाट से बढ़ाकर 125 मेगावाट करने तथा सिंथेटिक जिप्सम इकाई के उत्पादन को 65 टन प्रति घंटा तक विस्तारित करने के लिए प्रदान की गई थी। परियोजना प्रस्तावक (पीपी) द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार, उक्त प्रस्तावित विस्तार में मौजूदा इकाई 1 और 2 में उत्पादन में वृद्धि करना और चरण-बद्ध तरीके से नई इकाई-3 की स्थापना करना शामिल था तथा उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि, भरुवाडीह-समराडीह और करही-चांदी चूना-पत्थर खदानों के प्रस्तावित विस्तार से जुड़ी थी। खदानों की संबद्धता के आलोक में, पर्यावरण मंजूरी में एक शर्त भी विनिर्दिष्ट की गई थी, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

उक्त परियोजना के लिए चूना-पत्थर केवल (i) मौजूदा कैप्टिव समराडीह और भरुवाडीह चूना-पत्थर (531.126 हेक्टेयर एम.एल. क्षेत्र) और (ii) करही-चांदी चूना पत्थर खदान (242.127 हेक्टेयर एम.एल. क्षेत्र) से लिया जाएगा, जो संयंत्र स्थल के निकट अवस्थित हैं। चूना पत्थर के स्रोत में कोई परिवर्तन होने के मामले में परियोजना प्रस्तावक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेगा।

तदनंतर, इस मंत्रालय ने भरुवाडीह-समराडीह और करही-चांदी चूना-पत्थर खदानों को दिनांक 27.08.2020 और 15.05.2020 को क्रमशः 11.06 एमटीपीए और 1.5 एमटीपीए चूना-पत्थर उत्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की। परियोजना प्रस्तावक के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) संबंधी शर्तों के अनुपालन के संबंध में डेटा अपलोड करना अधिदेशित किया गया है और इसे वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए संसूचित किया गया है। पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर, समय-समय पर यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के संगत उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है। सीमेंट परियोजना के प्रचालन के संबंध में दो (2) शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सीपीसीबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) ने दिनांक 22.01.2025 से 23.01.2025 के दौरान उक्त इकाई का निरीक्षण किया था तथा निरीक्षण के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) के तहत इकाई को भट्ठा 2, भट्ठा 3 और सह-प्रसंस्करण सुविधा के प्रचालन को रोकने का निदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सीईसीबी ने परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के लिए दिनांक 27.02.2025 के पत्र के द्वारा 4,00,000/- रूपए और दिनांक 28.03.2025 के पत्र के द्वारा 10,20,000/- रूपए का पर्यावरण मुआवजा अधिरोपित किया था।

*****